डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 मई, 2023, डिस्पेच दिनांक 16 मई, 2023

| वर्ष 66 | अंक 24 | भोपाल | 16 मई, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

11 लाख से अधिक डिफॉल्टर किसानों का 2 हजार 123 करोड़ रुपये का ब्याज माफ

खण्डवा, छतरपुर और देवास में नवीन अनुविभाग का सृजन ● मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रूपये तक के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2 हजार 123 करोड़ रूपये माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा "जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गये हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी" के अनुरूप मंत्रि-परिषद द्वारा यह योजना मंजूर की गई। ऐसे डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण बकाया है, के ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

योजना के अनुसार किसान पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण 31 मार्च, 2023 तक बकाया होना चाहिए। डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गयी है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जायेगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2023 नियत की गई है। योजना के विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

खण्डवा, छतरपुर और देवास में नवीन अनुविभाग का सृजन

मंत्रि-परिषद ने खंडवा जिले में खालवा, छतरपुर में गौरीहार और देवास में टोंकखुर्द में नवीन अनुविभाग सृजन की स्वीकृति दी। नवीन अनुविभाग खालवा में तहसील खालवा के राजस्व निरीक्षक मण्डल आशापुर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 6, 8 से 15, 43 से 49,51,52 इस तरह कुल 23 हल्के तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल खालवा के पटवारी हल्का क्रमांक 7, 16 से 39 तक कुल 25 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल रोशनी के पटवारी हल्का क्रमांक 40 से 42, 50, 53 से 71 कुल 23 हल्के, इस प्रकार कुल 71 हल्के समाविष्ट होंगें। खालवा के सृजन के बाद शेष अनुविभाग हरसूद में तहसील हरसूद के राजस्व निरीक्षक मण्डल किल्लौद के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 16 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल हरसूद के पटवारी हल्का क्रमांक 17 से 33 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल छनेरा के पटवारी हल्का क्रमांक 34 से 50 इस प्रकार कुल 50 हल्के समाविष्ट होंगे। अनुविभाग के कुशल संचालन के लिये स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 कुल 11 पद स्वीकृत किये गये हैं।

जिला छतरपुर में नवीन अनुविभाग गौरीहार में तहसील गौरीहार के सभी पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 74 इस प्रकार कुल 74 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। गौरीहार अनुविभाग के गठन के बाद शेष रहे अनुविभाग लवकुशनगर में तहसील लवकुशनगर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 28 एवं तहसील चंदला के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 39 तक कुल 67 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग के कुशल संचालन के लिये स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4, इस प्रकार कुल 11 पद स्वीकृत किये गये हैं।

जिला देवास में नवीन अनुविभाग टोंकखुर्द में तहसील टोंकखुर्द के सभी 60 पटवारी हल्के समाविष्ट होगें। नवीन अनुविभाग के गठन के बाद शेष सोनकच्छ अनुविभाग में तहसील सोनकच्छ के सभी 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। अनुविभाग टोंकखुर्द के कुशल संचालन के लिये स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4, इस प्रकार कुल 11 पद स्वीकृत किये गये है।

डिफाल्टर किसानों के लिये ब्याज माफी योजना के निर्देश जारी

योजना में संशोधन-परिवर्तन का निर्णय लेने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित

भोपाल : राज्य मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सहकारिता विभाग ने डिफाल्टर कृषकों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। ब्याज माफी योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या और ब्याज की राशि आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन का निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है।

जारी निर्देश अनुसार प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे कृषक, जिन पर 31 मार्च की स्थिति में कुल देयताएँ (मूल ब्याज) 2 लाख रूपये तक है और डिफाल्टर हैं, के ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जायेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 की स्थिति में प्रदेश में 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर कृषक हैं, जिन पर माफी योग्य ब्याज की राशि लगभग 2 हजार 123 करोड़ रूपये है। योजना का लाभ 31 मार्च 2023 की स्थिति में डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही दिया जायेगा।

सचिव सहकारिता श्री विवेक पोरवाल ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के लिए डिफाल्टर कृषकों की सूची में यूनिक नम्बर (सरल क्रमांक) के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा।

राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अंशपूँजी की राशि का उपयोग सभी संबंधित संस्थाएँ प्रथमत:कृषकों के ब्याज को माफ करने के लिये उपयोग करेंगी। प्रदत्त अंशपूँजी वापसी योग्य नहीं होगी। कृषकों के लिये योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2023 रखी गई है।

योजना से लाभान्वित कृषकों को कृषि कार्य के लिये खाद उपलब्ध कराने के लिये यह विशेष सुविधा दी जायेगी कि जितनी राशि कृषक अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक का खाद समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे।

योजना में डिफाल्टर कृषकों की संख्या एवं ब्याज की राशि आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन करने का निर्णय लेने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ कमेटी के सदस्य और प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक को संयोजक सदस्य है।

भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता लेगा राज्य का बीज संघ

भोपाल : राज्य बीज संघ, भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता लेगा। यह निर्णय सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता और किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल की विशेष उपस्थिति में मंत्रालय में हुई राज्य बीज उत्पादक और विपणन संघ के संचालक मण्डल की बैठक में लिया गया। संचालक मंडल ने 16 प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज संघ की सदस्यता देने की मंजूरी दी। साथ ही राज्य बीज संघ के निर्मित गोदाम-सह-ग्रेडिंग प्लांट में सुरक्षा के लिये वायर फेंसिंग कराये जाने का भी निर्णय लिया गया। एम.डी. बीज संघ श्री ए.के. सिंह ने बताया कि वर्ष 2022-23 में बीज संघ द्वारा देश और प्रदेश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से खरीफ वर्ष 2022 में 455 क्विंटल से अधिक और रबी वर्ष 2022-23 के लिये 898 क्विंटल प्रजनक बीज के उठाव और वितरण की प्रगति दर्ज की गई।

अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अशोक वर्णवाल, सचिव सहकारिता श्री विवेक पोरवाल, आयुक्त सहकारिता श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त-सह-संचालक कृषि श्री एम. सेल्वेन्द्रन और प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री पी.एस. तिवारी उपस्थित थे।

अब पशुओं के इलाज के लिए भी उपलब्ध होगी एम्बुलेंस : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने 406 एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखा कर किया रवाना, एम्बुलेंस बुलाने के लिए टोल फ्री नम्बर 1962 जारी

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज वह दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए ही नहीं गो-माता और अन्य पशुओं के इलाज के लिए भी उपलब्ध होगी। एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और सहायक उपलब्ध होंगे। आपात स्थिति में पशुओं के इलाज के लिए टोल फ्री नं. 1962 जारी किया गया है। बीमार पशु को अस्पताल तक ले जाना बड़ी समस्या होती थी। अब इन एम्बुलेंस के आने से पशु चिकित्सालय स्वयं पशुपालक के द्वार पर उपस्थित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गो-रक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों एवं सभी विकासखंड के लिए 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन स्थल पहुँचते ही गो-पूजन किया और समस्त गो-धन की पूजा के प्रतीक स्वरूप बछिया राधिजा की पूजा की। उन्होंने दीप जला कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक श्री मुरलीधर राव,खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा,सांसद भोपाल सुश्री प्रज्ञा ठाकुर,मध्यप्रदेश गो-संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में पधारे गो-पालकों और गो-संरक्षकों पर पुष्प-वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान को सृष्टि सृजन और संचालन में गौ की महत्ता को प्रतिपादित करता गोबर से निर्मित शिवलिंग भेंट किया गया।

गो-वंश के अवैध परिवाहन में लिप्त वाहन राजसात होंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गो-वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। गो-हत्या करने वाले को 7 साल और अवैध परिवहन पर कारावास का प्रावधान है। गो-वंश के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को राजसात किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए गाय आवश्यक है। गो-मूत्र औरगोबर से ही घनामृत और जीवामृत बनते हैं।

ब्याज माफी योजना पर केन्द्रित किसान सम्मेलन होगा

सहकारिता मंत्री श्री भदौरिया और कृषि मंत्री श्री पटेल ने की विभागीय अधिकारियों से चर्चा

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में ब्याज माफी योजना को दी गई मंजूरी के अनुक्रम में किसान सम्मेलन होगा। सम्मेलन की तैयारियों के बारे में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया और किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रालय में किसान सम्मेलन से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंत्री द्वय ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिये आवश्यक निर्देश भी दिये।

अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास श्री अशोक वर्णवाल, सचिव सहकारिता श्री विवेक पोरवाल, आयुक्त सहकारिता श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित थे।

गेहूँ उपार्जन की अवधि 20 मई तक बढ़ी : खाद्य मंत्री श्री सिंह

भोपाल : प्रदेश में वर्ष 2023-24 में गेंहूँ उपार्जन की अवधि में 20 मई 2023 तक वृद्धि की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में असमायिक वर्षा के कारण कई किसान अपनी उपज का समर्थन मूल्य पर विक्रय नहीं कर पाये हैं। राज्य शासन द्वारा किसान हित में निर्णय लेते हुए गेहूँ उपार्जन की अवधि में वृद्धि की है।

मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर एवं उज्जैल संभाग में उपार्जन 12 मई 2023 एवं शेष संभागों में 15 मई 2023 तककिया जाना था। उन्होंने बताया कि उपार्जन अवधि में वृद्धि किये जाने से किसानों को राहत मिल सकेगी।

सेक्स सॉरटेड सीमन की नई दरें निर्धारित, सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए 100 रूपये

भोपाल : पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि विभाग ने कृत्रिम गर्भाधान से बछिया पैदा करने की नई तकनीक (सेक्स्ड सीमन) की नई दर निर्धारित की है। राज्यभ सरकार द्वारा पूर्व में सेक्सा सॉरटेड सीमन की दर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पशुपालकों के लिए 400 रूपये प्रति स्ट्रो तथा सामान्य एवं अन्यक पिछडा वर्ग के पशुपालकों के लिए 450 रूपये प्रति स्ट्राप निर्धारित की गई थी।

वर्तमान में राज्य शासन के द्वारा मुख्येमंत्री पशुपालन विकास योजना में परियोजना के क्रियान्व्यन के लिए राज्य शासन से प्राप्त अनुदान राशि के फलस्वेरूप प्रदेश के सभी श्रेणी के पशुपालकों के लिए सेक्स् सॉरटेड सीमन की नई दर 100 रूपये निर्धारित की गई है।

इस तकनीक से केवल बछिया का ही जन्म होता है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने के साथ नर बछड़ों की संख्या बढ़ने पर अंकुश लगता है।

जी पी एफ खाते के लिए आवेदन आमंत्रित

भोपाल : प्रधान महालेखाकार कार्यालय-लेखा एवं हकदारी ग्वालियर ने एक जनवरी 2005 से पूर्व के ऐसे शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों से आवेदन करने का आग्रह किया है, जिनको सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी खाता क्रमांक आवंटित करने और खाते में सुधार संबंधी आवेदन पत्र अपने विभाग से सत्यापित करा कर संपूर्ण विवरण सहित कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8827409410 पर भेज सकते हैं। शासकीय अधिकारी-कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि से संबंधित विवरण कार्यालय की वेबसाइट https://www.smswebservicemadhyapradesh2.cag.gov.in पर लॉगिन रजिस्टर कर प्राप्त किया जा सकता हैं।

जिले में मूंग के पंजीयन के लिए 13 समितियां निर्धारित

बैतूल : जिले में विपणन वर्ष 2023-24 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत ई-उपार्जन पोर्टल पर ग्रीष्मकालीन फसल मूंग के पंजीयन के लिए 13 समितियों को जिला उपार्जन समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मूंग पंजीयन के लिए सेवा सहकारी समिति मर्यादित रानीपुर, प्राथमिक सहकारी समिति चोपना, बैतूल, जामठी, शाहपुर, मुलताई, प्रभातपट्टन, आमला, भैंसदेही, आठनेर, भीमपुर, दामजीपुरा एवं प्राथमिक सहकारी समिति चिचोली का निर्धारण किया गया है।

शासकीय सेवा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है और सभी प्रदेशवासी अपने हैं : मुख्यमंत्री श्री चौहान

खेती को लाभ का धंधा बनाने में वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का महत्वपूर्ण योगदान

मुख्यमंत्री ने कार्पोरेशन के नव-नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय सेवा अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है और सभी प्रदेशवासी अपने हैं। यदि हम उनकी भलाई, कल्याण और उन्नति के लिए काम करेंगे तो प्रदेश की प्रगति होगी। शासकीय सेवा, पक्की नौकरी की निश्चिन्तता देती है, पर साथ ही जन-सामान्य के लिए बेहतर कार्य करने का दायित्व भी इसमें निहित है। शासकीय सेवा में कर्त्तव्यनिष्ठा से किया गया कार्य समाज,देश और प्रदेश के निर्माण में आपके योगदान के रूप में अंकित होता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के नव-नियुक्त प्रबंधकों, सहायक गुणवत्ता नियंत्रकों और उपयंत्रियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद उनसे बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 24 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। निवास कार्यालय समत्व भवन में हुए कार्यक्रम में कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राहुल सिंह, प्रमुख सचिव श्री उमाकान्त् उमराव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संवेदनशील है खाद-बीज और उपज के भंडारण और प्रबंधन का कार्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का कार्य किसानों से संबंधित है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। यह तभी संभव होगा जब खेती के लिए आवश्यक खाद, बीज सही तरीके से किसानों तक पहुँचे और किसानों द्वारा उगाई गई फसल का उचित भंडारण और प्रबंधन सुनिश्चित हो। इन सभी कार्यों में वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका काम अत्यंत संवेदनशील है। नव-नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी सेवा एवं आनंद के भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। हमें यह भान होना चाहिए कि हम देश बना रहे हैं, हम अपना काम गर्व और गरिमा के साथ करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने संबंधी एक कहानी भी साझा की।

हरदा में 25 से 30 मई तक होगा "श्री अन्न एवं मूंग महोत्सव : मंत्री श्री पटेल

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में महोत्सव

भोपाल : किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि हरदा में आगामी 25 से 30 मई तक "श्री अन्न एवं मूंग महोत्सव" होगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के संदर्भ में होने वाले इस महोत्सव में श्री अन्न (मोटा अनाज) के साथ हरदा के हरियाले मोती अर्थात ग्रीष्मकालीन मूंग केन्द्र बिन्दु होंगे।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि श्री अन्न के महत्व को प्रतिपादित किया जायेगा। इसके लिये श्री अन्न के संवर्धन एवं प्र-संस्करण संबंधी उत्पादों का प्रदर्शन होगा। आमजन को मोटे अनाज और इसके उत्पादों के प्रति जागरूक करने, मूल्य संवर्धन के लिये अद्यतन विकसित यंत्रों का प्रदर्शन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि अभियांत्रिकी संबंधी प्रसिद्ध कम्पनियों के उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जायेगा। महोत्सव में खाद, बीज और पौध-संरक्षण से संबंधित बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के अनुसंधानों से किसानों को रू-ब-रू कराने के साथ सैद्धांतिक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि महोत्सव में फसलों में कीट व्याधि नियंत्रण के लिये अनुशंसित पौध-संरक्षण औषधियों का ड्रोन विधि से छिड़काव के प्रदर्शन के साथ प्रशिक्षण भी होगा। महोत्सव में पृथक से ड्रोन प्रदर्शन झोन स्थापित किया जायेगा।

जैविक एवं प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों, कृषक संगठनों द्वारा उत्पादित परम्परागत एवं नवीनतम किस्मों के बीजों का प्रदर्शन, प्राकृतिक एवं जैविक कृषि आदानों के निर्माण एवं उपयोग संबंधी लघु संगोष्ठियाँ होंगी। महोत्सव में देश के ख्यातनाम कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषकों का संवाद होगा, जिससे कृषक अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि महोत्सव में कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप स्थापित कर उन्नति के नवीन सौपान पर अग्रसर प्रगतिशील कृषकों की लघु संगोष्ठियाँ भी होंगी। महोत्सव में क्षेत्र के किसान नवीनतम तकनीकों के साथ नये अनुसंधान और यंत्रों के उपयोग को सीख सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसान उन्नत कृषि कर आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग पर अग्रसर होंगे।

"मेरी गिरदावरी- मेरा अधिकार" अब किसान खुद निश्चिंत होकर अपनी फसल की गिरदावरी

सीहोर : "मेरी गिरदावरी- मेरा अधिकार" में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी MP-KISAN App के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जायेगा। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा।

MPKISAN App

मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार में किसान को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपीकिसान एप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। किसान एप पर लॉगिन कर फसल स्व-घोषणा , दावा आपत्ति आप्शन पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के लिये प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला/तहसील/ग्राम/खसरा आदि का चयन कर एक या अधिक खातों को जोड़ा जा सकता है। खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी एप में उपलब्ध होगी। उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर ए आई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी। किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोयी गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है।

जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब एप भी मददगार

सीहोर :भारत सरकार की जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशन धारक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नजदीकी एमपी ऑनलाईन कियोस्क/सीएससी जाएं।बैंक की किसी भी शाखा में सुविधा का उपयोग करें या घर पर भी ऑनलाइन के माध्यम से http://jeevanpraman.gov.in वेबसाईट पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। Through Face Authentication – Aadhar Face RD app गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दिये गये निर्देशों का पालन कर जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाईन जमा किया जा सकता है।

गूगल प्ले स्टोर में उमंग एप डाउनलोड कर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन मोबाइल नम्बर एवं ओटीपी द्वारा किया जा सकता है। इसके उपरांत MPIN सेट करना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु वीडिया सुविधा प्रारंभ की गई है, इस हेतु (https://www.pensionseva.sbi./VideoLC) वेबसाईट पर जाएं, पेंशन के जिस खाता संख्या में पेंशन जमा होती है उसकी प्रविष्टी कर सुविधा का प्रयोग करें।

पोस्ट ऑफिस की सशुल्क सुविधा 70 डोर स्टेप सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसमें पोस्टमेन स्वयं पेंशनर के आवास में विजिट कर लाईफ सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान करता है। जिसकी बेवासाईट https://www.ippbonline.com/web/ppb/digital-life-certificate से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशनर्स द्वारा अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। डिजिटल उपकरणों के अतिरिक्त पेंशनर द्वारा अपने जिले के बैंक शाखा Pension Disburrsing Agency में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र मैनुअली फॉर्म जमा किया जा सकता है आवश्यकता पढ़ने पर पेंशनर जिला पेंशन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

मछली पालकों को आधुनिक एवं उन्नत तकनीक से जोड़ने के लिये दो करोड़ रूपये के साधन एवं सुविधाएं

मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री के श्री सिलावट के मुख्य आतिथ्य में विशाल मछुआ सम्मेलन संपन्न

भोपाल : इंदौर जिले के 250 मछली पालकों को आधुनिक एवं उन्नत तकनीक से जोड़ने के लिये दो करोड़ रूपये से अधिक राशि के आधुनिक साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जल संसाधन तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इन मछली पालकों को आज यहां सांवेर में आयोजित विशाल मछुआ सम्मेलन में उक्त साधन एवं सुविधाएं वितरित की।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री राजेश सोनकर, प्रमुख सचिव मत्स्य पालन श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक मत्स्य विकास श्री पुरुषोत्तम धीमान, अपर सचिव मछुआ कल्याण श्री अनुराग चौधरी, संचालक मत्स्य पालन श्री भारत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना मालवीय, जनपद अध्यक्ष रामकन्या बाई सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में मछुआ समाज के लोग उपस्थित थे।

जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सम्मेलन का मां सरस्वती और राजा केवट के चित्र के समक्ष दीप प्रजवलित और कन्या पादपूजन के साथ शुभारंभ हुआ।

मंत्री श्री सिलावट ने सांवेर मछुआ सम्मेलन में कहा की आज का दौर परिवर्तन एवं तकनीक का युग है। इसको देखते हुये मछली पालकों को भी मछली पालन के आधुनिक तौर-तरीके सिखाये जा रहे है। उन्हें आधुनिक एवं उन्नत तकनीक से जोड़ने के लिये साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही हैं । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में मछुआ समाज के लिये अनेक योजना का लाभ इस समुदाय के लोगों को दिया जा रहा हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोगो को रोजगार संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मंत्री श्री सिलावट ने सांवेर में एक नया मछली मार्केट बनाने और सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा भी की।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा की आधुनिक युग में प्रदेश में नए तरीके से मछली पालन का काम शुरू कराया गया है। केवट समाज के लोगो के लिए यह सरकार कृत संकल्पित होकर कामकर

रही है। मछुआ समाज के युवाओं को नई मोटर साईकिल दी जा रही है, जिससे उन्हें व्यवसाय में मदद मिले। मछुआ समाज कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संबल विकास योजना का लाभ भी आज सांवेर के मछुआरों को दिया जा रहा है। विगत 5 वर्षों में मछुआ समाज की 667 बालिकाओं को मीनाक्षी योजना में विवाह के लिए 20-20 हजार रूपये की को राशि प्रदान की गई है। श्री सिलावट ने कहा की हमारा समाज केवट समाज का सदैव ऋणी है। आज भी पूरा विश्व उनका आभार व्यक्त करता है। केवट समाज के लोगों को सम्मानित कर हम स्वयं भी सम्मानित हो रहे है। राजा केवट ने जगत के पालनहार श्री राम प्रभु , माता सीता, भाई लक्ष्मण को गंगा पार कराया । आज हम उस समाज के भाईयो के लिए कुछ कर सके तो हम सब गौरांवित महसूस करेंगे।

मंत्री श्री सिलावट ने बताया की मछुआ समाज के मछली का व्यवसाय करने वालो 25 युवाओं को मोटर साईकिल और स्कूटर आइस बॉक्स के साथ प्रदान की गई है। 150 से अधिक मछुआ भाईयो को मछुआ किट प्रदान की गई। जिससे युवाओं को घर बैठे ही रोजगार उपलब्ध होगा और लोगो को फ्रेश मछली मिल सकेगी। साथ ही मछली विक्रय के लिए दो किसानों को फिश कियोस्क स्थापना के लिए 12 लाख रूपए दिए गये है। हैचरी निर्माण के लिए 15 लाख रूपए, फिश मिड मिल के लिए 78 लाख रूपए की मदद प्रदान की गई। इसी तरह 10 ऐसे मत्स्य पालक/ किसान जो अपने खेत में मछली पालन के लिए तालाब निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें 44 लाख रूपए की, बायोफ्लाक पॉण्ड निर्माण के लिए 11 लाख रूपए की मदद दी गई है। इसी तरह 50 मछुआरों को क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है। 150 मछुआरों को 5 लाख रूपए लागत की मछुआ जाल किट दी गई है।

पूर्व विधायक श्री राजेश सोनकर ने कहा की देश में प्रदेश की सरकार नंबर एक पोजिशन पर है। आधारभूत संरचना, गरीबों के लिए चल रही हितग्राही योजना, में प्रदेश एक नंबर पर है। प्रदेश में सबसे संवेदनशील सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान परिवार के सदस्य के रूप में काम करते है, सबके लिए चिंतित रहते है और अधिक से अधिक मदद करने की उनकी सोच से हम सब बहुत कुछ सीखते है और समाज सेवा में लगे रहते है। कार्यक्रम को प्रमुख सचिव मत्य् पालन श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, संचालक मत्स्य पालन श्री भरत सिंह और अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत राशन सामग्री का परिवहन उचित मूल्य दुकान तक करने हेतु हितग्राही चयनित

अनुपपुर : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पात्र युवाओं को स्वरोजगार का नया अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना'' शुरु की गई है। इसमें चयनित आवेदकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन के लिए 25 लाख रुपये तक बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी अनूपपुर ने बताया है कि जिले में 30 अप्रैल 2023 तक प्राप्त किए गए 41आवेदनों का जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर लॉटरी के माध्यम से 09 आवेदकों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में चयनित हितग्राही बैंक ऋण की मदद से निर्धारित मे. टन क्षमता का वाहन क्रय कर राशन सामग्री का परिवहन प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकान तक करेंगे। हितग्राही से 7 वर्ष का अनुबंध होगा। खाद्यान्न मात्रा व दूरी के अनुसार 45 से 65 प्रति क्विंटल परिवहन व हैण्डलिंग व्यय प्रदान करने के साथ ही अन्य योजना के खाद्यान्न, शक्कर, नमक के परिवहन पर भी विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा क्रय किए गए वाहन पर शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं प्रदर्शन करना भी जरूरी है। योजना के तहत जिले के अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ विकासखण्डों में 10 सेक्टर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 09 सेक्टर के लिए हितग्राहियों का चयन किया गया है एवं विकासखण्ड कोतमा के सेक्टर क्रमांक 01 के लिए पात्र आवेदन प्राप्त न होने से पुनः इस सेक्टर में आवेदन हेतु प्रक्रिया जारी है।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने प्रारंभ की भ्रूण प्रत्यारोपण योजना

रायसेन : भारत सरकार एवं म.प्र. शासन पशुपालन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रायसेन जिले में भ्रूण प्रत्यारोपण योजना प्रारंभ की गई है। जो कि मानव में टेस्ट ट्यूब बेबी के समान है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि इस भ्रूण को उच्च उत्पादक नस्ल के नर एवं मादा के जनन द्रव्य द्वारा प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। पशुपालकों की मादा गाय/ भैंसों का परीक्षण विशेषज्ञ द्वारा किए जाने के पश्चात एवं चयनित होने पर भ्रूण का प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। इसके लिए अनुबंध पर पशुपालक के हस्ताक्षर होने के पश्चात उन्नत नस्ल का भ्रूण प्रत्यारोपित किया जाएगा, जिसमें 90 प्रतिशत मादा वत्स उत्पन्न होने की संभावना है। उन्नत नस्ल की मादा वत्स द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी एवं पशुपालक की आय में भी वृद्धि होगी। भ्रूण प्रत्यारोपण की कुल लागत 22 हजार रू है, जिसमें से मात्र 1500 रू का भुगतान ही पशुपालक द्वारा किया जाएगा। उप संचालक डॉ अग्रवाल द्वारा पशुओं में नवीनतम तकनीक द्वारा भ्रूण प्रत्यारोपण कराकर अधिक मुनाफा पाने की अपील की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए निकटतम पशु चिकित्सालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

एफपीओ से कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग होगा प्रशस्त : श्री पटेल

एफपीओ, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादक संगठनों के कार्यालयों का किया शुभारंभ

भोपाल : किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने सतना जिले के मैहर में "मैहर कृषक उत्पादक संगठन" एवं मझगवाँ के ग्राम पगारकलां में "गैवीनाथ सब्जी एवं दुग्ध उत्पादक संगठन" के कार्यालयों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एफपीओ से कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सांसद श्री गणेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामखेलावन कोल, जन-प्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा संबद्ध कृषकों को कृषि के लिये बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। एफपीओ कृषकों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद, दवाई इत्यादि की व्यवस्था करने के साथ उपज की मॉर्केटिंग की व्यवस्था भी करते हैं। प्रदेश में निरंतर एफपीओ का गठन किया जा रहा है। मैहर में गठित एफपीओ निश्चित ही किसानों के

लिये फायदेमंद होगा।

कृषि मंत्री ने मझगवाँ में "गैवीनाथ सब्जी एवं दुग्ध उत्पादक संगठन" कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि समूह के गठन से किसानों को मदद मिलेगी। किसानों को सब्जी एवं दूध की तकनीकी जानकारी मिलने से उत्पादन बढ़ेगा। क्षेत्र में पैक्ड दूध, क्रीम, मक्खन, दही, पनीर, कस्टर्ड, फ्रोजन सब्जियों के संबंध में नवीनतम जानकारियाँ मिलेंगी, जिससे किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने किसानों के हित में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गाँव में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक प्रदान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना से किसानों को सीधे लाभान्वित किया जा रहा है। किसानों को खाद एवं बिजली बिलों में बड़े स्तर पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये निरंतर कार्य कर रही है।

सायंकालीन किसान चौपालों में किसानों को दी जाएगी उपयोगी जानकारी

हरदा। जिले में किसानों को कृषि सम्बद्ध विभाग कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, सहकारिता एवं वन विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी सांयकालीन चौपालों के माध्यम से दी जाएगी। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि जिले में 3-3 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाकर, सायंकालीन कृषक चौपालों का आयोजन किया जाएगा। इन चौपालों में तहसील स्तर पर भाग लेने वाले उन्नतशील एवं उद्यमी किसानों को प्रेरक के रूप में आमंत्रित कर किसानों से संवाद कराया जायेगा। कृषक चौपालों में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों द्वारा चयनित पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि 29 जून को हरदा विकासखण्ड के ग्राम अबगांवकला में कृषक चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अबगांवखुर्द, भुन्नास व डगांवानीमा ग्राम सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार हरदा विकासखण्ड के ग्राम अबगांवकला में 6 जुलाई को कृषक चौपाल आयोजित होगी, जिसमें ग्राम गोगिया, नांदरा व सोनखेड़ी के ग्रामीण सम्मिलित होंगे। इसके अलावा 13 जुलाई को हरदा विकासखण्ड के ग्राम अबगांवकला में चौपाल आयोजित होगी, जिसमें अबगांवकला, पिडगांव, आदमपुर व सुरजना के ग्रामीण शामिल होंगे। इसी प्रकार खिरकिया विकासखण्ड के ग्राम चारूआ में 20 जुलाई को चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्राम चारूआ, बावड़िया व कानपुरा के ग्रामीण शामिल होंगे। खिरकिया विकासखण्ड के ग्राम चारूआ में 27 जुलाई को चौपाल आयोजित होगी, जिसमें ग्राम डेडगांवमाल, पड़वा व कालधड़ के किसान सम्मिलित होंगे।खिरकिया विकासखण्ड के ग्राम चारूआ में 3 अगस्त को चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्राम प्रतापपुरा, जूनापानी व भंवरदी के किसान शामिल होंगे। इसी प्रकार ग्राम चारूआ में 10 अगस्त को चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसमें जयमलपुरा व टेमलाबाड़ीमाल के किसान सम्मिलित हो सकेंगे। इसके अलावा टिमरनी विकासखण्ड के ग्राम करताना में 17 अगस्त को कृषक चौपाल आयोजित होगी, जिसमें ग्राम करताना, भवरास व गोंदागांवकला के किसान सम्मिलित होंगे। ग्राम करताना में 24 अगस्त को कृषक चौपाल आयोजित होगी, जिसमें ग्राम गुल्लास, रूंदलाय व सन्यासा के किसान सम्मिलित होंगे। ग्राम करताना में 31 अगस्त को कृषक चौपाल आयोजित होगी, जिसमें ग्राम लछोरा, छीपानेर व नयागांव के किसान सम्मिलित होंगे। ग्राम करताना में 7 सितम्बर को कृषक चौपाल आयोजित होगी, जिसमें ग्राम तजपुरा, कुहीग्वाड़ी, गोंदागांवखुर्द व गाड़ामोड़कला के किसान सम्मिलित होंगे।

कलेक्टर ने किया गेहूं एवं धान के अवशेषों को खेतो में जलाने पर धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड : कलेक्टर डॉ सतीष कुमार एस ने गेहूं एवं धान के अवषेषो को खेतो में ही जलाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है।

कलेक्टर ने जारी आदेष में कहा कि मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के नोटिफिकेषन 15 मई 2017 द्वारा जारी निर्देषानुसार गेंहू / धान के अवशेषों को खेतों में ही अंधाधुंध तरीके से जलाये जाने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति/ संस्था यदि ऐसा करते हुए पाए जाते है उसे मा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार निम्मानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा। मुआवजे के अन्तर्गत 02 एकड या उससे कम भूमि धारक 2000 /- रू प्रति घटना, 02 एकड से अधिक लेकिन 05 एकड से कम भूमि धारक 5000 /- प्रति घटना एवं 05 एकड से अधिक भूमि धारक 15000/- रू प्रति घटना का मुआवजा अदा करना होगा।

मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 15 मई 2017 तथा जिले में गेंहू फसल की कटाई उपरांत उनके अवशेष को जलाने से होने वाले प्रदूशण एवं आगजनी की घटनाओं से आमजन के स्वास्थ एवं उनकी जान माल की सुरक्षा तथा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न हो, उक्त सभी को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर डॉ सतीष कुमार एस द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया गया है। जिसके तहत जिले में फसलों विशेषकर गेंहू /धान की फसल काटने के उपरांत उनके अवशेष कोई भी कृषक अपने खेत पर नही जला सकेंगे अर्थात फसल काटने के उपरांत उनके अवशेषों को जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

हार्वेस्टर मशीन संचालकों को यह अनिवार्य होगा कि वे हार्वेस्टर मशीन के साथ-साथ भूसा/पुआल पूरा बनाने की मशीन (स्ट्रा-रीपर, स्ट्रा बेलर) लगाकर फसल कटाई के बाद अवशेष से स्थल पर ही भूसा बनाकर, अवशेष का निपटान करेंगे। हार्वेस्टर मशीन एवं स्ट्रा - रीपर (भूसा /पुआल पूरा बनाने के संयत्र) के दौरान निकलने वाली चिंगारी से आगजनी की घटना रोकने हेतु मशीन संचालक, अग्नि सुरक्षा संयंत्र के साथ-साथ आग बुझाने के लिए रेत एवं पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। यह भी देखने में आया है कि खेतों के आस-पास लगे ट्रांसफार्मर से कभी- कभी चिंगारी / शार्ट सर्किट से भी आगजनी की घटना हो जाती है। अतः अधिक्षण यंत्री, म.प्र. राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यह सुनिश्चित करेंगे कि खेतों के आस-पास लगे ट्रांसफार्मर की निरंतर मॉनीटिरिंग करें। साथ ही खुले हुयी विधुत लाईनों को भी व्यवस्थित करायें।

यदि कोई व्यक्ति/ संस्था जिले के अंतर्गत फसलों विशेषतः धान एवं गेंहू की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो वह माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार आदेश के पद-2 में वर्णित अनुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करने के साथ-साथ इस आदेश के उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश का दृढतापूर्वक पालन किया जाना सुनिश्चित हो ।

समर्थन मूल्य योजनातर्गत गेहूं विक्रय हेतु उपार्जन की अवधि 20 मई 2023 तक बढ़ाई गई

टीकमगढ़ : नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार के तहत विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य पर गेहू उपार्जन के लिये अवधि 15 मई 2023 तक थी। प्रशासन खाप नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में असामयिक वर्षा के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय से शेष रहे कृषकों को समर्थन मूल्य योजनातर्गत गेहूं विक्रय का अवसर प्रदान करने हेतु का अवसर प्रदान करने हेतु उपार्जन को अवधि 20 मई 2023 तक बढ़ाई गई है।

समस्त किसानों से अनुरोध किया जाता है कि जिन किसानों के द्वारा अभी उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं का विक्रय नहीं किया गया है, ऐसे किसान विक्रय हेतु स्लाट कर अपने उपज के गेहूं का विक्रय उपरोक्त दिनांक तक कर सकते हैं।

कृषक सुविधा सह कस्टम हायरिंग सेंटर और नवीन उर्वरक केंद्र की मिलेगी सौगात कलेक्टर ने सुविधा केंद्र के लिए दी 40 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति ढीमरखेड़ा विकासखंड के किसानों को मिलेगा लाभ

कटनी। देश के भौगौलिक केंद्र बिंदु करौंदी गांव और उसके आसपास के गांवों के किसानों की सुविधा को देखते हुए कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद द्वारा ग्राम मडेरा में कृषक सुविधा सह कस्टम हायरिंग सेंटर निर्माण के लिए 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि गत 27 अप्रैल को कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिला पंचायत सीईओ शिशिर गेमावत सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ढीमरखेड़ा विकासखंड का भ्रमण किया गया था।

भ्रमण कार्यक्रम के दौरान किसानों की मांग पर देश के भौगौलिक केंद्र बिंदु करौंदी गांव से 2 किलोमीटर दूर ग्राम मडेरा में कृषक सुविधा सह कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए स्थल का निरीक्षण कर स्थल चयन किया था।15 दिवस के भीतर दी प्रशासनिक स्वीकृतिउल्लेखनीय है कि 27 अप्रैल को किए गए स्थल निरीक्षण उपरांत कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा सीईओ जिला पंचायत शिशिर गेमावत को इस हेतु इस्टीमेट तैयार करवा कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जिला पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गत परियोजना क्रमांक 1 में कृषक सुविधा सह कस्टम हायरिंग सेंटर निर्माण के लिए विकासखंड ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत बम्हनी अंतर्गत ग्राम मडेरा में उपार्जन केंद्र के सामने शासकीय भूमि पर 40 लाख रुपए का प्रस्ताव और इस्टीमेट कलेक्टर श्री प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसे कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर किसानों की सुविधा के लिए राह प्रशस्त कर दी।किसानों को मिलेगी ये सुविधाएंउल्लेखनीय है कि कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से ढीमरखेड़ा परियोजना क्षेत्र के किसानों को कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेंगी कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से सीएसएस का संचालन किया जायेगा। उक्त योजना का लाभ लघु सीमांत और मध्यम किसानों को दिया जाएगा।उमरिया पान उप मंडी में बनेगा नवीन उर्वरक केंद्रढीमरखेड़ा-उमरिया पान क्षेत्र के किसानों द्वारा क्षेत्र में लंबे समय से उपमंडी उमरियापान में नवीन उर्वरक केंद्र खोलने की मांग की जा रही थी।

जिसे गंभीरता से लेते हुए गत 27 मार्च को समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री प्रसाद ने सचिव कृषि उपज मंडी समिति जिला कटनी को उमरियापान उपमंडी में स्थल निरीक्षण कर नवीन उर्वरक केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए थे। जिसके पालन में सचिव कृषि उपज मण्डी समिति कटनी द्वारा उमरिया पान उपमंडी में 500 टन की क्षमता वाली गोदाम के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है।किसानों में हर्ष, जताया आभारकिसानों को मिलने वाली सुविधा से ढीमरखेड़ा परियोजना क्षेत्र के किसानों में हर्ष देखा जा रहा है। कृषक सुविधा केंद्र सह कस्टम हायरिंग सेंटर और नवीन उर्वरक केंद्र की मांग को पूरा करने वर्षों बाद की गई पहल के लिए उनके द्वारा कलेक्टर श्री प्रसाद का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

समर्थन मूल्य पर चना, और सरसों खरीदी की अंतिम तिथि 31 मई 2023

डिण्डोरी : उप संचालक कृषि ने बताया कि शासन द्वारा रबी वर्ष 2022-23 की उपज चना,मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 अप्रैल से बढाकर 31 मई 2023 तक कर दी गई है।

उन्होंने बताया की भारत सरकार द्वारा औसत अच्छी गुणवत्ता के फसल चना हेतु 5335 प्रति क्विंटल मसूर हेतु 6000 प्रति क्विंटल एवं सरसों हेतु 5450 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जिले में उपार्जन हेतु 03 उपार्जन केंद्र आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित हर्रा निगवानी परिसर डिंडौरी,विपणन सहकारी समिति मर्यादित गोरखपुर, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित समिति शहपुरा का निर्धारित किया गया है। जिसमें उपार्जन कार्य सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक किया जा रहा है।

कृषक तौल पर्ची सायं 6 बजे तक जारी की जाएगी। उपज विक्रय हेतु एसएमएस प्राप्त होने का इंतजार करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए कृषक स्वयं उपार्जन केंद्र एवं उपार्जन दिनांक स्लॉट बुकिंग के माध्यम से कर सकेंगे। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत सत्यापित कृषक स्वयं के मोबाईल, एम.पी. ऑनलाईन, ग्राम पंचायत, लोकसेवा केंद्र, इन्टरनेट कैफे अथवा उपार्जन केंद्र से स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं।

लघु वनोपज सहकारी समितियों हेतु एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जबलपुर। दिनांक 08.05.2023, 09.05.2023 एवं 10.05.2023 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित बरही जिला कटनी, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित सकरीगढ़ जिला कटनी एवं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित करेला जिला कटनी में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

जिसमें प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सचिव, प्रबंधक, संचालक मण्डल के सदस्यों को सहकारी समितियों के अधिकार, कर्तव्य एवं समिति का प्रबंधन, सहकारी अधिनियम के मुख्य प्रावधान, सहकारी संस्थाओं में बैठकों का आयोजन, संचालन, वित्तीय लेखाकंन एवं अंकेक्षण, सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराएं, उद्यमिता विकास से लाभ, औषधीय प्रसंस्करण, मार्केटिंग एवं वेल्यू एडीशन, औषधियों का विनाश विहिन विदोहन, औषधियों की मार्केटिंग, उचित मूल्य कैसे प्राप्त हो एवं औषधियों व वनों की सुरक्षा पर जानकारी प्रदान कर समितियों के सदस्यों को लाभान्वित किया गया।

मधुमक्खी पालन से होगा रोजगार का सृजन

शिक्षा शिविर लगाकर कृषक सदस्यो को दी जानकारी

छतरपुर। बिजावर तहसील के अंतर्गत रगौली मत्स्य उद्योग सहकारी समिति में एक दिवसीय शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया, कार्यक्रम की शुरूआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित करते हुए किया गया। जिला सहकारी प्रशिक्षक हृदेश कुमार राय द्वारा मत्स्य समिति के सदस्यों को सहकारिता का अर्थ, समिति के उद्देश्य, संचालक मंडल के उततरदायित्व व अधिकार पर विस्तृत जानकारी दी, साथ ही शासन द्वारा 34 प्रकार के नए क्षेत्रों में सोसाएटी गठन करने हेतु कृषक सदस्यों को प्रेरित कियाा साथ ही श्री राय द्वारा कहा कि कृषक अपनी आय बढाने के लिए मधुमक्खी पालन को बढावा दें मधुमक्खी पालन से किसानों को डबल फायदा होता है एक तो मधुमक्खी से प्रापत होने वाले शहद वैक्स रॉयल जेली मौन विष आदि को बेचकर कमाई कर सकते हैं दूसरे मधुमक्खियों के फसलों में परागण बनाने से फसल में

वृद्धि होती है जिससे उनका मुनाफा भी बढता है। मधुमक्खी की कई प्रजातियां है और सभी प्रजातियों से अलग-अलग मात्रा में शहद प्राप्त होता है आमतौर पर एमेलीफेरा और ए सेरेना इंडिका मुधमक्खियों को पाला जाता है, पूरे देश में शहद उत्पादन में भारत का स्थान पांचवा है फिलहाल देश भर में 2 लाख रजिस्टर्ड मौनपालकों द्वारा मौनवंशों को पाला जा रहा है लेकिन कृषि और बागवानी फसलों में सफल परागण के लिए लाखों की संख्या में मधुमक्खियों के छत्ते की जरूरत है, इसलिए सरकार भी मधुमक्खी पालन को बढावा दे रही है। किसान भाई अपनी आय बढाने के लिए एक साथ कई कार्य करें जैसे पशु पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, बागवानी लगाना, क्षेत्रों में सोसाएटी बनाना आदि।

वही प्रशिक्षक श्री राय ने बताया यह शिक्षा शिविर मप्र राज्य संघ भोपाल की शिक्षा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि अलग-अलग दिनांकों में समितियों में जाकर विषय से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें विशेष सहयोग हमारे मत्स्य विभाग छतरपुर के श्री डीआर पटेल सहायक संचालक मत्स्य विभाग छतरपुर एवं उप सहायक आयुक्त श्री एसपी कौशिक सहकारी संस्थाएं छतरपुर का रहा। वही समस्त मत्स्य समिति सरानी, कैडी, दौरिया, आलीपुरा, बृजपुरा, नाथपुर, उजरा, मामौन, नदंगांय कलां, व रंगोली प्रशासक और अध्यक्षों का सहयोग सराहनीय रहा।

सहकारी समितियों हेतु एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

भोपाल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या भोपाल के द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर एवं छतरपुर के जिला सहकारी प्रशिक्षक पीयूष राय, जय कुमार दुबे एवं हृदेश कुमार राय, अखिलेश द्वारा सहकारी समितियों के पदाधिकारी/प्रबंधकों के अधिकार, कर्तव्य एवं समिति का प्रबंधन, सहकारी अधिनियम के मुख्य प्रावधान, सहकारी संस्थाओं में बैठकों का आयोजन, संचालन, वित्तीय लेखांकन एवं अंकेक्षण, सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराएं इत्यादि विषयों पर दिनांक 26-04-2023, 27-04-2023, 28-04-2023, 02-05-2023, 03-05-2023, 04-05-2023, 08-05-2023, 09-05-2023 एवं 10-08-2023 को सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोदसा (नरसिंहपुर), प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित इमलिया (कटनी) , आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पर्सनेल (डिंडोरी), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सडवाछापर (डिंडोरी), प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित मडेसुर (नरसिंहपुर), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सलैया (कटनी), प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित डुगरिया (नरसिंहपुर), द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चांदनखेड़ा (कटनी), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित टाटरी (डिंडोरी), प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित उनाव शाखा उन्नाव (दतिया), प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित इकारा शाखा उन्नाव (दतिया), प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित परासरी (दतिया), प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित इमलिया (दतिया), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ग्राम मुनू (जबलपुर), प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित तरगुवां शाखा उनाव (दतिया), द्वारा प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित बघुवार (नरसिंहपुर), प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहद (नरसिंहपुर), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंगारपुर (जबलपुर), प्राथमिक सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिमरिया (नरसिंहपुर), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ग्राम राई, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कुशौली शाखा उनाव (दतिया) में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में कृषकों, ग्रामीणों एवं महिलाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

बुन्देलखण्ड में राज्य सहकारी संघ द्वारा मत्स्य सहकारी समितियों को दिया जा रहा निरंतर प्रशिक्षण...

छतरपुर। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या0 भोपाल के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर के श्री बाबूलाल कुशवाहा एवं श्री हृदेश कुमार राय सहकारी प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिनांक 25-04-2023, 26-04-2023, 27-04-2023, 28-04-2023 एवं 05-08-2023 को आयोजित किया गया। प्रशिक्षकों द्वारा समितियों के सदस्यों एवं संचालक मण्डल के पदाधिकारी/प्रबंधकों को अधिकार, कर्तव्य एवं समिति का प्रबंधन, सहकारी अधिनियम के मुख्य प्रावधान, सहकारी संस्थाओं में बैठकों का आयोजन, संचालन, वित्तीय लेखांकन एवं अंकेक्षण, सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराएं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जाने वाली मत्स्यपालन पर योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित कसार, मत्स्य सहकारी समिति मर्या. ऊजरा, मत्स्य सहकारी समिति मर्या. मामौन, मछुवा सहकारी समिति मर्यादित बमीठा, मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित पीरा, मत्स्य सहकारी समिति मर्या. नंदगांय कला, मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित राजगढ़ -चंन्दनगर, मत्स्य सहकारी समिति मर्या. रगौली, दशरथी मैंया मत्स्य सहकारी समिति नवीन फुटवारी भगवा हीरापुर जिला छतरपुर मे एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मत्स्य सहकारी समिति कसार के अध्यक्ष श्री गोरेलाल रैकवार, सरपंच श्री चतुर्भुज अहिरवार संचालक श्री दरबारी लाल रैकवार सदस्य श्री बाबू रैकवार, श्री मुन्ना लाल रैकवार, श्री कल्लू रैकवार संतोष साहू, श्री चंद्र प्रकाश रैकवार श्रीमती रीना रैकवार श्रीमती चिंकू रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति ऊजरा (छतरपुर) में जिसमें समिति अध्यक्ष श्री राजाराम रैकवार उपाध्यक्ष श्री नत्थू रैकवार सचिव श्री रामगोपाल रैकवार सहित समिति के सदस्य, मत्स्योद्योग सहकारी मामौन जिसमें समिति अध्यक्ष श्री राजू रैकवार उपाध्यक्ष श्रीमती बर्षा रैकवार सचिव श्री रामस्वरूप रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति बमीठा जिसमें समिति अध्यक्ष श्री भुमानी दीन रैकवार उपाध्यक्ष श्री लखन रैकवार सचिव शोभा लाल रैकवार सदस्य श्री दिनेश रैकवार श्री प्रकाश रैकवार श्री प्रहलाद रैकवार श्रीमती शीला रैकवार श्रीमती प्रियंका रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति पीरा जिसमें समिति अध्यक्ष श्री उमाशंकर रैकवार, प्रशासक मत्स्य विभाग जिला छतरपुर के श्री आर.एन.एस.यादव एवं समिति के सदस्य श्री प्रेम रैकवार श्री बालादीन रैकवार श्री रामकृपाल रैकवार श्री हीरालाल रैकवार श्री मोहन रैकवार, किशोरी, श्री भागीरथ,श्री गडुवा श्री दीना रैकवार तथा महिला सदस्य श्रीमती तुलसा, श्रीमती ममता, श्रीमती रश्मी, श्रीमती पार्वती, श्रीमती कौसा, मत्स्योउद्योग सहकारी समिति मर्या. नंदगांय कला जिसमें समिति अध्यक्ष श्री भईयन रैकवार उपाध्यक्ष श्री परमलाल रैकवार सचिव श्री श्यामलाल रैकवार मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित राजगढ़ -चंन्दनगर जिसमें समिति अध्यक्ष श्री मोतीलाल रैकवार, उपाध्यक्ष श्री मथुरा प्रसाद रैकवार सदस्य श्री प्रकाश रैकवार श्री अमित रैकवार श्री राजू रैकवार श्री बब्लू आदिवासी श्रीमती पाना रैकवार श्रीमती मल्ली रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति मर्या. रगौली जिसमें समिति अध्यक्ष श्री रामदास रैकवार उपाध्यक्ष श्री धनीराम रैकवार सचिव श्रीमती सरस्वती रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति नवीन फुटवारी भगवा हीरापुर जिला छतरपुर जिसमें समिति के सचिव श्री दीपक खंगार व सदस्य श्री प्रेमलाल रैकवार श्री मनोज रैकवार श्री गोरेलाल रैकवार श्री कमलेश रैकवार श्री गुबन्दी रैकवार महिला सदस्य श्रीमती रामकली रैकवार श्रीमती हरीबाई रैकवार श्रीमती गुलाबरानी इत्यादि सदस्य उपस्थित रहे।

निर्वाचन प्रक्रिया पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

सिवनी। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या0 भोपाल से संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा मत्स्य सहकारी समिति रुमाल जिला सिवनी मे निर्वाचन प्रक्रिया पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन हेतु सदस्यों की सूची तैयार किया जाना, निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति, सदस्यता सूची का प्रकाशन, सदस्यता सूची तैयार करना, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के सदस्यों एवं महिलाओं के लिए आरक्षण, निर्वाचन हेतु साधारण सम्मिलन के आयोजन का सूचना पत्र जारी करना, निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहकारिता विस्तार अधिकारी वाणीविलास शर्मा, विशेष अतिथि अंकेक्षण अधिकारी राठी, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य विजय कुमार बर्वे एवं जनप्रतिनिधि उपस्थिति रहें।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।